

छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर- 492001

कमांक 1560 / एफ 21 / 10 / 34-2 / 02
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22 / 09 / 2010

प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर।

विषय : भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1896 के अंतर्गत उपकर जमा किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 5564 / लेशा / दिनांक 30.08.2010.

- 000 -

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार निविदा दस्तावेजों में जोड़ने हेतु निम्नांकित विशेष शर्त अनुमोदित किया जाता है :-

Special Additional Conditions :-

- (A) Cess @ 1% (One percent only) shall be deducted at source, from every bill of contractor by Executive Engineer under " Building and other Construction for workers welfare, cess Act-1996".
- (B) It is mandatory for the contractor(s) to get himself/themselves registered with "Chattisgarh Building and other construction welfare Board " for work amounting to Rs. 10.00 lakhs (Rs. Ten lakhs) and above and enclosed a true copy of such registration certificate alongwith the tender, otherwise his/ their tender shall not be considered for qualification.

सहपत्र: शून्य।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ० कमांक / एफ 21 / 10 / 34-2 / 02

रायपुर, दिनांक / 09 / 2010

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा.यां.विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/जगदलपुर/अंबिकापुर / (वि/यां), रायपुर।
4. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/वि-यां खंड /परियोजना खंड..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र: शून्य।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग